# न्यायालय उपखण्डाधिकारी सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी का नाम :– हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 359/2019

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सादुलशहर

वादी

बनाम

1 रामदित्ता पुत्र महा सिंह जाति जट सिख साकिन मन्नीवाली
2 अर्जन सिंह पुत्र महा सिह जाति जट सिख निवासी मन्नीवाली
3 दसोन्दा सिंह पुत्र महा सिंह जाति जट सिख निवासी मन्नीवाली
4 दलीप सिंह पुत्र चनन सिंह जाति जट सिख निवासी मन्नीवाली
5 जगरूप सिंह पुत्र चनन सिंह जाति जट सिख निवासी मन्नीवाली
6 जंगीर सिंह पुत्र चनन सिंह जाति जट सिख निवासी मन्नीवाली
7 महेन्द्र सिंह पुत्र चनन सिंह जाति जट सिख निवासी मन्नीवाली
8 एसबीआई शाखा सादुलशहर

प्रतिवादीगण

**दावा अन्तर्गत धारा 88 आरटीए**

उपस्थित :–

1 राजपैरोकार स्टेट (वादी)
2 रामकुमार सिहाग, राकेश सिहाग एडवोकेट प्रतिवादी संख्या 2 व 3

**निर्णय** दिनांक : 3.1.2020

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने प्रतिवादीगण के विरूद्व अन्तर्गत 88 आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में इन अभिकथनों के साथ प्रस्तुत किया कि चक 39 पी टी पी जमाबंदी सम्वत 2072–2075 खाता संख्या 55/52 में रामदिता , अर्जन सिंह, दसोन्दासिंह पि0 महासिंह 0.152 हे., दलीप सिंह, जगरूप सिंह पि0 चनन सिंह 1.644 हे. जंगीरसिंह, 1.923 हि. महेन्द्र सिंह 1.414 हि. पि0 चनन सिंह जाति जट सिख निवासी मन्नीवाली खातेदार रहन जंगीर सिंह1.923 है. एसबीआई शाखा सादुलशहर चक 39 पी टी पी प.न. 55/155 मु.न. 29 कि.न. 7,12,13,14,17,18,19,20,21,22,23 में 2.783 है., प.न. 55/156 मु.न. 34 कि.न. 1,2,3,8,9,10,12,13, में 2.024 है., कुल 4.807 है. नहरी मय गै.मु. आराजी दर्ज रिकॉर्ड है। जमबादी सेग्रीग्रेशन का कार्य किया जा रहा है जिसके सहकाश्तकारों के हिस्सा का योग एव खाते का क्षैत्रफल का कुल योग का मिलान आवश्यक है। जमाबदी के मुताबिक खाते के हिस्सों का योग एव खाते में अन्तर 0.759 है., का आता है। पटवारी हल्का एव भू0 अ0 निरीक्षक से प्राप्त रिपोर्ट के अनूसार कब्जा काश्त की स्थिती निम्नानूसार है कि चक 39 पी टी पी जमाबदी सम्वत 2072–2075 खाता संख्या 55/52 में जंगीर सिह 2.403 है., महेन्द्र सिह 1.895 है., पि0 चनन सिंह जाति जट सिख सा0 मन्नीवाली, दलीपचंद पुत्र कृष्णलाल 0.509 है., जाति यादव साकिन 40 पी टी पी ढाणी मु.न. 29 के 2.783 है., मु.न. 34 के 2.024 है. कुल 4.807 है. रकबा पर काश्त है। जमाबदी सेग्रीग्रेशन हेतू की जाने वाली कार्यवाही के समय दिनांक 8.3.19 को यह प्रकरण ध्यान में आया हे इस कारण अन्दर मियाद है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
सादुलशहर

Scanned by CamScanner

अतः दावा पेश कर निवेदन है कि निम्नानूसार डिक्री फरमाया जावे कि:– चक 39 पी टीपी खाता संख्या 55/52 में जंगीर सिंह 2.403 है., महेन्द्र सिंह 1.898 है. पि0 चनन सिंह जाति जट सिख सा0 ढाणी 39 पी टी पी दलीपचंद पुत्र कृष्णलाल 0. 506 है., जाति यादव सा0 40 पी टी पी मु.न. 29 के 2.783 है., म.न. 34 के 2.024 है. कुल 4.807 है. पर काश्त है।

वाद पत्र पेश होने पर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 7 महेन्द्र सिंह व प्रतिवादी संख्या 6 जंगीर सिह ने जरिये वकील उपस्थित होकर इकबाल जवाब पेश किया है एव मुताबिक रिपोर्ट वाद वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किये जाने का निवेदन किया। एव शेष प्रतिवादीगण की तलबी जरिये रजिस्टर्ड डाक से करवायी गयी, प्रतिवादीगण की तलबी जरिये रजिस्टर्ड डाक से होने के बावजूद हाजिर अदालत नही आने पर प्रतिवादीगण के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

बहस सुनी गयी। दौराने बहस राजपैरोकार स्टेट द्वारा वाद पत्र डिक्री किये जाने का निवेदन किया। वकील प्रतिवादीगण ने वादी के कथनों मे अपनी सहमति प्रकट की एव काउन्टर क्लैम स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

हमनें पत्रावली का अध्ययन किया। बहस पर मनन किया। पत्रावली का अध्ययन करने एवं बहस मनन करने के उपरांत निष्कर्ष है कि उक्त वाद तहसीलदार सादुलशहर द्वारा प्रस्तुत कर विवादित खातो मे दर्ज खातेदारान की हिस्सा कस्सी गलत दर्ज है चूंकि खातेदारान द्वारा अपनी खातेदारी भूमि के संबंध मे अन्य खातेदारान के साथ तबादला, बैय एवं अन्य तरीके से भूमि का अन्तरण आपसी सहमति के आधार किया हुआ है परन्तु रिकार्ड मे रकबा पूर्ववत हिस्सा के अनुसार दर्ज है जिसके कारण जमाबंदी दर्ज रकबा के मुताबिक खातेदारान की कब्जा काश्त के अनुसार हिस्सा कस्सी का मिलान नही हो रहा है। प्रकरण मे पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट के अनुसार जमाबंदी मे रकबा मुताबिक कब्जा काश्त खातेदारान की हिस्सा कस्सी सही दर्ज किया जाना आवश्यक है एव प्रतिवादीगण ने निवेदन किया है कि वादाधीन आराजी पूर्व में सांझा खाता मे दर्ज थी जो कि लगभग 110 बीघा का खाता था एव खाता अलग हुये काश्तकारों के नाम कलमजन ना होने के कारण अन्तर हुआ है एव उक्त खाता के काबिज काश्त प्रतिवादीगण का नाम अन्य खातों से कलमजन हो चूका है। इस प्रकार खाते अपवादित है तथा तहसील राजस्व रिकार्ड को ऑनलाईन किया जाना है जिसके लिए अपवादित खातो को दुरूस्त किया जाना अपरिहार्य है। अतः स्टेट की रिपोर्ट पर हिस्सा व कब्जा के आधार पर पृथक–पृथक खाते कायम करना आवश्यक है। ऐसी स्थिति मे वाद वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

## क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तथा तहसीलदार (राजस्व) सादुलशहर को आदेशित किया जाता है कि निम्नानुसार राजस्व रिकार्ड मे रकबा खातेदारान के नाम से दर्ज किया जावे कि :– चक 39 पी टी पी जमाबदी सम्वत 2072–2075 खाता संख्या 55/52 प.न. 55/155 मु.न. 29 कि.न. 7, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 में 2.783 है. नहरी, प.न. 55/156 मु.न. 34 कि.न .1,

Scanned by CamScanner

2, 3, 8, 9, 10, 12, 13 में 2.024 है.नहरी कुल खाता 4.807 है. नहरी आराजी में दलीपचन्द पुत्र कृष्णलाल 0.506 है., जाति यादव सा0 ढाणी 40 पी टी पी, जंगीर सिंह वल्द चनन सिंह 2.403 है., महेन्द्र सिंह पुत्र चनन सिंह 1.898 है., जाति जट सिख साकिन मन्नीवाली खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है।

तहसीलदार सादुलशहर को निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार ही राजस्व रिकार्ड मे अंकन किया जावें। बैंक रहन की स्थिति पूर्वानुसार रहेगी। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 3.1.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

3.1.2020

हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
सादुलशहर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Hawai Singh Yadav
Date: 2020.01.28 17:43:03 IST
Reason: SelfAttested
Location: